न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

:: आदेश ::

क्रमांकः–26/अ–59/2017–18/251 बैतूल दिनांक 05/01/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, पटवारी हल्का नंबर 07 रा. नि. मं. शाहपुर तहसील शाहपुर जिला बैतूल द्वारा तहसीलदार शाहपुर के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, ग्राम कोयलारी मे स्थित खसरा नंबर 54, 58, 59, एवं 62 रकबा क्रमशः 0.121, 0.134, 0.134 तथा 0.142 हेक्टेयर भूमि चरनोई मद में दर्ज है। खसरा नंबर 54 में फूलचंद पिता सुकलू जाति कोरकू, खसरा नंबर 58 में चुन्ना, पिता गुलचंद जाति कोरकू, हबलू पिता गुलचंद जाति कोरकू, खसरा नंबर 59 में मुन्ना पिता गुलचंद जाति कोरकू, तथा खसरा नंबर 62 में जंगली पिता बाबूलाल जाति कतिया, मकान बनाकर निवासरत् है। शासन के निर्देशानुसार इन्हें आवासीय पट्टा प्रदान करने के लिए उक्त भूमि का मद परिवर्तन किया जाना आवश्यक है।

2– हल्का पटवारी के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार शाहपुर द्वारा मद परिवर्तन के लिए विधिवत् प्रकरण दर्ज करके आगामी कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:–

(1)– मौजा कोयलारी स्थित खसरा नंबर 54 रकबा 0.121 हेक्टेयर में से 0.008 हेक्टेयर, खसरा नंबर 58 रकबा 0.134 हेक्टेयर में से 0.012 हेक्टेयर, खसरा नंबर 59 रकबा 0.134 हेक्टेयर में से 0.008 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 62 रकबा 0.142 हेक्टेयर में से 0.008 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)– वर्तमान राजस्व अभिलेख (खसरा) के अनुसार मौजा कोयलारी स्थित खसरा नंबर 54, 58, 59, एवं 62 रकबा क्रमशः 0.121, 0.134, 0.134 तथा 0.142 हेक्टेयर भूमि चरनोई मद में दर्ज है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1968–69 के अनुसार उक्त खसरा नंबर घॉस मद में दर्ज है।

(3)– दिनांक 04–8–2017 को आयोजित ग्राम पंचायत कछार की बैठक में, ग्राम कोयलारी स्थित खसरा नंबर 52, 58, 59 एवं 62 का मद परिवर्तन कर आबादी घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

(4)– मौजा कोयलारी का मकबूजा रकबा 338.852 हेक्टेयर है, एवं ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा 30.950 हेक्टेयर है। ग्राम के मकबूजा रकबा के 2 प्रतिशत के मान से न्यूनतम 6.777 हेक्टेयर चरनोई का रकबा ग्राम में उपलब्ध रहना अनिवार्य है। वर्तमान में ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा न्यूनतम रक्षित रकबे से अधिक है, तथा इसमें से 0.036 हेक्टेयर आबादी घोषित करने के बाद भी न्यूनतम रक्षित रकबे से कम नहीं होगा।

(5)– तहसीलदार शाहपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर द्वारा मौजा कोयलारी तहसील शाहपुर स्थित खसरा नंबर 54 रकबा 0.121 हेक्टेयर में से 0.008 हेक्टेयर, खसरा नंबर 58 रकबा 0.134 हेक्टेयर में से 0.012 हेक्टेयर, खसरा नंबर 59 रकबा 0.134 हेक्टेयर में से 0. 008 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 62 रकबा 0.142 हेक्टेयर में से 0.008 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

3– मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–237 (3) के अनुसार चारागाह, घॉस, बीड़ या चारे के लिए आरक्षित की भूमि को उस ग्राम की कुल कृषिक भूमि के न्यूनतम दो प्रतिशत

तक सुरक्षित रखने के पश्चात् दखल रहित भूमि को आबादी, सड़को, राजमार्गो, नहरो, तालाबो, अस्पतालो, विद्यालयो, महाविद्यालयो, गौशालाओ, के निर्माण या राज्य शासन द्वारा अन्य किसी जन उपयोगी परियोजनाओ के लिए व्यवपर्तित किया जा सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक– 1/2011/अधी./10842, दिनांक 8–11–2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांकः– 2489 दिनांक 25–2–2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4– अतएव प्रकरण की उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति तहसीलदार शाहपुर /अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर के प्रतिवेदन व अनुंशसा के आधार पर मौजा कोयलारी प.ह.नं. 07 रा. नि. मं. शाहपुर तहसील शाहपुर स्थित खसरा नंबर 54 रकबा 0.121 हेक्टेयर में से 0.008 हेक्टेयर, खसरा नंबर 58 रकबा 0.134 हेक्टेयर में से 0.012 हेक्टेयर, खसरा नंबर 59 रकबा 0. 134 हेक्टेयर में से 0.008 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 62 रकबा 0.142 हेक्टेयर में से 0.008 हेक्टेयर जिसे नक्शे में लालस्याही से चिन्हित किया गया है, को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास बनाया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला–बैतूल.

पृ0क्र0:–26/अ–59/2017–18/241. बैतूल दिनांक 05/01/2018

प्रतिलिपिः–

1– अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर।
2– तहसीलदार शाहपुर।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।
3– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
4– जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
5– सचिव ग्राम पंचायत सालीमेट जनपद पंचायत शाहपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला–बैतूल.